(84)

दूरभाष– 2286709
2286710
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रांक : 603/76/एक/2015–16 दिनांक: 20 मई 2015

सेवा में,

परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–रामपुर।

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद रामपुर में लघु व्यापार केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि का प्रेषण।

आपके जनपद को वित्तीय वर्ष 2015–16 में लघु व्यापार केन्द्र की स्थापना हेतु निम्नानुसार धनराशि आपके डूडा जनपदीय खाते में धनराशि आन्तरित कर दी गयी है:–

(धनराशि लाख रू0 में)

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	**30.00**

क0 सं0	जनपद	लघु व्यापार केन्द्र की संख्या	लघु व्यापर केन्द्र हेतु आगणित धनराशि	अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि
01	रामपुर	01	60.00	30.00
	योग		60.00	30.00
	(रू0 तीस लाख मात्र)			

01 प्रश्नगत लघु व्यापार केन्द्र के निर्माण में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

02 सूडा द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

03 सूडा द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से डूडा द्वारा एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) निष्पादित करने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाये।

दूरभाष– ...

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

04 डूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप स्थल पर सम्पादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर डूडा के सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

05 लघु व्यापार केन्द्र के निर्माण हेतु गठित संशोधित आगणन/मानचित्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद को सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर निदेशक, सूडा।
3– महाप्रबन्धक (नि0–10)/नो0अधि0, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम लखनऊ के पत्रांक 489 दिनांक 24.03.2015 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4– कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।
5– श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0 अधिकारी, सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक